

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 13-10-09

सं०-2/टी०-50/2009-1360(2)/स्वा०, राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों का जून, 2009 में विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा किये गये स्थानान्तरण को स्तंभ-5 के अनुसार संशोधित जिले में तत्कालीक प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है ।

क्र०सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम पदनाम	अधिसूचना सं०	अधिसूचित जिला	संशोधित जिला
1	2	3	4	5
1	डा० शिवचन्द्र झा फाईलेरिया नियंत्रण केन्द्र, दरभंगा	832(2) दि० 30.06.09	मधुबनी	शिवहर
2	डा० शंभु प्रसाद सिंह प्रा०स्वा०केन्द्र, रजौली, नवादा	860(2) दि० 30.06.09	गया	मधुबनी
3	डा० उर्मिला कुमारी अति०प्रा०स्वा०केन्द्र, कमतौल दरभंगा	868(2) दि० 30.06.09	बेगुसराय	मुजफ्फरपुर
4	डा० सुनील कुमार प्रसाद प्रा०स्वा०केन्द्र, नरपतगंज, अररिया	835(2) दि० 30.06.09	किशनगंज	गया
5	डा० जय प्रकाश सिन्हा अति०प्रा०स्वा०केन्द्र नारायणपुर, बाराहाट, बॉका प्रतिनियुक्त चि०महा०, भागलपुर	853(2) दि० 30.06.09	जमुई	मुंगेर
6	डा० बसंत कुमार पंचानन अति०प्रा०स्वा०केन्द्र, कोयालाकुण्ड, कल्याणपुर, समस्तीपुर	831(2) दि० 30.06.09	कैमूर	दरभंगा
7	डा० संजय कुमार सिंह प्रा०स्वा०केन्द्र, छातापुर, सुपौल	858(2) दि० 30.06.09	अररिया	सहरसा
8	डा० रवि शंकर शरण सिंह प्रा०स्वा०केन्द्र, देसरी, वैशाली	845(2) दि० 30.06.09	शेखपुरा	पटना
9	डा० अजय कुमार पाण्डेय अनुमंडलीय अस्पताल, बक्सर	830(2) दि० 30.06.09	कटिहार	भोजपुर
10	डा० विजय कुमार प्रा०स्वा०केन्द्र, वजीरगंज, गया	831(2) दि० 30.06.09	कैमूर	मुजफ्फरपुर
11	डा० प्रभात कुमार सिंह, जहानाबाद	859(2) दि० 30.06.09	औरंगाबाद	गया
12	डा० नरेश कुमार सिन्हा, सीवान	855(2) दि० 30.06.09	नालन्दा	नवादा
13	डा० विजय कुमार शर्मा, सुपौल	837(2) दि० 30.06.09	सीवान	गोपालगंज
14	डा० योगेन्द्र प्रसाद सिंह, अररिया	838(2) दि० 30.06.09	भोजपुर	बक्सर
15	डा० कालिकान्त झा, बेगुसराय	851(2) दि० 30.06.09	दरभंगा	सीतामढ़ी
16	डा० गगनदेव प्रसाद, बेगुसराय	843(2) दि० 30.06.09	पू० चम्पारण	प० चम्पारण
17	डा० चन्द्र मोहन मिश्रा, दरभंगा	832(2) दि० 30.06.09	मधुबनी	सीतामढ़ी
18	डा० घनश्याम राय, सारण	837(2) दि० 30.06.09	सीवान	पू० चम्पारण
19	डा० सत्य प्रकाश सिंह, सारण	847(2) दि० 30.06.09	सहरसा	सीवान

20	डा0 रामाधार चौधरी, दरभंगा	846(2) दि0 30.06.09	समस्तीपुर	सीतामढ़ी
21	डा0 राजेश कुमार, भागलपुर	865(2) दि0 30.06.09	मुंगेर	बक्सर
22	डा0 नवल किशोर ओझा, गोपालगंज	854(2) दि0 30.06.09	जहानाबाद	सीवान
23	डा0 श्याम बिहारी पाण्डेय, सारण	869(2) दि0 30.06.09	सारण	पटना
24	डा0 बदरुद्दीन अंसारी, औरंगाबाद	860(2) दि0 30.06.09	गया	कैमूर
25	डा0 आनन्द कुमार सिन्हा, बेगुसराय	864(2) दि0 30.06.09	खगड़िया	बेगुसराय
26	डा0 (श्रीमती) रंजना कुमारी प्रा0स्वा0केन्द्र, कोईलवर, भोजपुर		बक्सर	पटना
27	डा0 अरुण कुमार वर्मा सदर अस्पताल, सुपौल	833(2) दि0 30.06.09	मधेपुरा	सहरसा
28	डा0 रामवीर चौधरी, लेडी एलगिन जनाना अस्पताल, गया	858(2) दि0 30.06.09	अररिया	रोहतास
29	डा0 संगीता सिन्हा, जिला यक्ष्मा केन्द्र, बक्सर	838(2) दि0 30.06.09	भोजपुर	कैमूर

2. संबंधित सिविल सर्जन/ नियंत्रि पदाधिकारी 15 दिनों के भीतर स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को पदस्थापित स्थान के लिए निश्चित रूप से विरमित कर देंगे और नवपदस्थापित जिले के सिविल सर्जन, विरमित हो कर योगदान देने वाले चिकित्सा पदाधिकारियों का पदस्थापन जिले के अन्तर्गत रिक्त पद के विरुद्ध 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से देंगे ।
3. निलम्बन/ न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति में यह आदेश उनपर लागू नहीं होगा ।
4. इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना अवक्रमित समझी जायेगी ।
5. यदि किसी चिकित्सा पदाधिकारी का पदस्थापन गृह जिले में हो गया हो तो वह प्रभावी नहीं होगा ।
6. चूँकि यह स्थानान्तरण उनके द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर किया जा रहा है इसलिए चिकित्सा पदा0 को स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा0 प्रमोद कुमार)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 2/टी50/2009-

1360(2)

पटना, दिनांक 13.10.09

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार/ अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ उप महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री/ माननीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के सचिव, स्वास्थ्य / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ उप सचिव, स्वास्थ्य/ प्रशाखा पदाधिकारी, 2,3,7,9 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव